न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 34/2021

1 जगदीश पुत्र रामूराम उम्र 55 वर्ष जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जगूराम पुत्र भैरू।
2 अर्जुन पुत्र भैरू (मृत)।
2/1 कंवरी पत्नी अर्जुन।
2/2 विनोद पुत्री अर्जुन।
2/3 कमला पुत्री अर्जुन।
2/4 मूली पुत्री अर्जुन।
3 बेगाराम पुत्र ज्ञानाराम।
4 पतासी पत्नी मोटाराम।
5 लिछमणराम पुत्र मोटाराम।
6 गोमाराम पुत्र भूराराम।
7 गुमानाराम पुत्र भूराराम।
8 गणपत पुत्र उदा।
9 रामकरण पुत्र उदा।
10 सुल्तान पुत्र उदा।
11 चेनाराम पुत्र उदा।
12 मुकेश पुत्र उदा।
13 मोहनी पत्नी उदा समस्त जाति जाट निवासीगण जैतपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

14 पटवारी हल्का ढ़हर का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

15 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये भूधारक राजस्थान सरकार।

16 महावीर प्रसाद पुत्र झाबरमल।

17 संतोष देवी पत्नी झाबरमल।

18 मोहन पुत्र भैरू समस्त जाति जाट निवासीगण जैतपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 42/2018 मोहन आदि बनाम जगूराम आदि अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांकित 06.04.2021

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरफूल सिंह खीचड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 17.02.2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 42/2018 में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट की ओर से ग्राम जैतपुरा पटवार हल्का डेहर का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ की भूमि खसर नम्बर 189, 192 , 141, 142, 143, 122, 123, 163 व 164 बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 212 प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2018 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। दिनांक 09.02.2021 को अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से स्थगन को वैकेट करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुनकर दिनांक 06.04.2021 को आवेदन स्वीकार कर नामांतकरण दर्ज करने की हद तक स्थगन अपास्त किया है। इससे व्यथित होकर प्रार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। विचारण न्यायालय में आवेदनकर्ता अजनबी क्रेता है। विभाजन के वाद में अजनबी क्रेतागण को नामांतकरण की छुट दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। क्रेतागण सहकाश्तकार के फुटस्टेप पर अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः अंतिम निर्णय से पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर आर डी 1996 पेज 148 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 16 व 17 के आवेदन पर विक्रय पत्र दिनांक 08.10.2018 के आधार पर नामांतकरण दर्ज करने की हद तक स्थगन वैकेट किया गया है। विचारण न्यायालय में क्रेतागण को पक्षकार संयोजित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण दर्ज करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में आवेदनकर्ता अजनबी केता है। विभाजन के वाद में अजनबी केतागण को नामांतकरण की छुट दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। केतागण सहकाश्तकार के फुटस्टेप पर अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में अंतिम निर्णय से पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 06.04.2021 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर